न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान :—मोहरसिंह आदि बनाम लिखमाराम आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :— 113/2025

निर्णय दिनांक :— 26/11/2025

1. मोहरसिंह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
2. कैलाश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
3. राकेश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

1. लिखमाराम पुत्र सांवताराम जाति प्रजापत निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
2. भंवरलाल पुत्र हुणताराम जाति मेघवाल निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
3. महावीर पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
4. दयाचन्द पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
5. नेतराम पुत्र भुगानाराम जाति मेघवाल निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
6. किशनलाल पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
7. रणवीर पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
8. महेन्द्रसिंह पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
9. फुलसिंह पुत्र तेजाराम जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
10. ज्ञानाराम पुत्र तेजाराम जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
11. पूर्णाराम पुत्र कुम्भाराम जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 भू राजस्व अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्य के आधार पर।

उपस्थित :—

1. श्री पवन योगी अभिभाषक वास्ते प्रार्थीगण 1 ता 3
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर वास्ते अप्रार्थी सं. 12

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि कृषिभूमि खसरा नं. 398/92 तादादी 6.4869 हेक्टेयर, वाके रोही बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण सह खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषिभूमि ही विवादित हैं। उक्त खसरा नम्बर 398/92 जिसके प्रार्थीगण सह खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण की उक्त कृषिभूमि के पड़ौसी खातेदार अप्रार्थी सं. 1 ता 11 की कृषिभूमि स्थित है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 प्रार्थीगण के साथ सींव को लेकर विवाद करते रहते है तथा कई बार जवरन प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे में पीलर इत्यादि रोपने की कोशिश करते है इसलिये सींव पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 11 के साथ हमेशा विवाद बना रहता है इसलिये सींव पर सीमा चिन्ह लगाया जाना आवश्यक हो गया है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि को विधिवत् रूप से चिन्हित किया जाना आवश्यक है। कि प्रार्थीगण की कृषिभूमि के सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार तारानगर को प्रार्थना दिया गया, जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 25.04.2025 को मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया तो प्रार्थीगण की कृषिभूमि मुताबिक जमाबंदी मौके पर कम पाई गई, इसलिये

Rajendra

उन्होनें प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में जाने के लिये कहा। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जावे कि अनुभवी राजस्व कर्मियो की टीम गठित कर प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत कृषिभूमि खसरा नं. 398/92 तादादी 6.4869 हैक्ट. वाके रोही बास सारायण तहसील तारानगर भूमि की पैमाईश करवाई जाकर निशानदेही देकर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। आदि–आदि।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 को जारी नोटिस उन्हें तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 12 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित उन्होंने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण कृषिभूमि खसरा नं. 398/92 तादादी 6.4869 हैक्ट. वाके रोही बास सारायण के रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में है। प्रार्थीगण अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं। वर्णित विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक कृषिभूमि खसरा नं. 398/92 तादादी 6.4869 हैक्ट. वाके रोही बास सारायण भूमि का सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। सीमाचिन्ह कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थीगण वहन करेगा। ध्यान रहे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी काश्तकार को बेदखल नही किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक ....26/11/2025.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)